

R.R.No. 5514  
25313

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक 20-3/13

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	वरियता सं.	नाम व पद	प्रस्तावित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	5/09	श्री राजेन्द्र सिंह जालवाल कनिष्ठ अनुदेशक आरआई केन्द्र बनीपार्क, जयपुर	4/III/बी बहुमंजिला गांधीनगर	31.7.2017
2.	108/09	श्रीमती शहनाज बानो नर्स ग्रेड-द्वितीय, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	17/III/सी बहुमंजिला गांधीनगर	31.10.2025
3.	113/09	श्रीमती ऋतू शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनीपार्क, जयपुर।	10/III/सी बहुमंजिला गांधीनगर	31.10.2037
4.	115/09	श्री प्रेमचन्द शर्मा कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी (पी.एम.यू.) जल संसाधन विभाग, जयपुर।	5/III/ए बहुमंजिला गांधीनगर	30.9.2024
5.	126/09	श्री विजय कुमार मीणा प्रवक्ता (सीएसई) राजकीय रामचन्द्र खेतान पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर	III/8 गांधीनगर (III/60 गांधीनगर के स्थान पर)	30.6.2044
6.	2/2010	डा०(श्रीमती) प्रीति सिंह तहसीलदार निर्वाचन (राजस्व विभाग) कार्यालय अतिरिक्त कलेक्टर तृतीय, जयपुर।	III/42 गांधीनगर	31.5.2032
7.	3/2010	श्री समर जीत सिंह कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, ड्रिलिंग उपखण्ड तृतीय, जयपुर	III/84 गांधीनगर	30.6.2022
8.	30/2010	श्रीमती रजनी भावनानी सतत् शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी निदेशालय सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर।	'एच' ब्लॉक एमआरईसी कैम्पस गांधीनगर	30.4.2021
9.	38/2010	श्री श्याम सिंह पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।	'डब्ल्यू' ब्लॉक एमआरईसी कैम्पस गांधीनगर	31.7.2027
10.	98/2012	डॉ० कमलेश कुमार चिकित्सा अधिकारी हड्डी रोग विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	ए-12 जवाहरनगर (जीए/III/टी -2/123 विद्याधरनगर के स्थान पर)	30.9.2043
11.	109/2012	डॉ० संजय कुमार मोरवाल चिकित्सक प्रथम वर्ष ऐनेस्थिसिया विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	ए-99 जवाहरनगर	28.2.2039
12.	114/2012	डॉ० मनोज मीना चिकित्सक सी.ए.एस., पी.जी. ऐनेस्थिसिया विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	ए-100 जवाहरनगर	1.1.2036

13.	116/2012	डॉ० रचना अग्रवाल चिकित्सक सी.ए.एस., पी.जी. शरीर रचना विज्ञान विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	ए-157 जवाहरनगर	30.6.2042
14.	118/2012	श्री मनीष माथुर प्राध्यापक (भौतिक विज्ञान) राजकीय पौद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर, जयपुर	ए-15 जवाहरनगर	30.4.2029
15.	13/2013	डा० राजीव सोनगरा वरिष्ठ प्रदर्शक पेरियोडोन्टोलोजी राजकीय दन्त चिकित्सालय जयपुर	जीए/गा/टी- 2/91 विद्याधरनगर	31.5.2043
16.	15/2013	श्री आलोक चन्द्र शर्मा आरपीएस पुलिस उप अधीक्षक आंतकवाद निरोधक दस्ता राजस्थान पुलिस जयपुर (नीतिगत निर्णय)	गा/119 एवीएस गांधीनगर	31.10.2036
17.	16/2013	श्री ओम प्रकाश गुप्ता अमीन कार्यालय विशेषाधिकारी भूमि (डीएमआईसी), उद्योग भवन, जयपुर।	जीए/गा/टी- 2/83 विद्याधरनगर	31.12.2017
18.	31/2013	डा० हर्ष कुमार रेजीडेन्ट चिकित्सक सीएएस पीजी जनरल सर्जरी सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	जीए/गा/टी- 2/105 विद्याधरनगर	30.6.2042
19.	32/2013	डा० भरपूर शरण शर्मा वरिष्ठ प्रदर्शक दन्त राजकीय दंत चिकित्सालय एवं महाविद्यालय जयपुर	जीए/गा/टी- 2/121 विद्याधरनगर	31.12.2037
20.	33/2013	डा० रामजी लाल रेगर वरिष्ठ प्रदर्शक दन्त राजकीय दंत चिकित्सालय एवं महाविद्यालय जयपुर	जीए/गा/टी- 2/122 विद्याधरनगर	31.7.2042

शर्त:-

- आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :-
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- कम संख्या -1 पर अंकित श्री राजेन्द्र सिंह जालवाल से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षरे रुपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
- कम संख्या -2 पर अंकित श्रीमती शहनाज बानो से कॉमन सुविधा राशि रुपये 225/- (अक्षरे रुपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।

11. कम संख्या -3 पर अंकित श्रीमती ऋतु शर्मा से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
12. कम संख्या -4 पर अंकित श्री प्रेमचन्द शर्मा से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
13. कम संख्या -16 पर अंकित श्री आलोक चन्द शर्मा से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/- (अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
14. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से




(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
5. अधीक्षक, आरआई केन्द्र बनीपार्क, जयपुर।
6. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनीपार्क, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. अधीक्षण अभियन्ता, आरडब्ल्यूआरएसपी (पीएमयू) जल संसाधन विभाग, जयपुर।
12. प्रधानाचार्य, राजकीय रामचन्द्र खेतान पोलिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर।
13. अतिरिक्त कलेक्टर तृतीय, जयपुर।
14. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
15. निदेशक, सतत एवं शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. अधीक्षक, राजकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
17. प्रधानाचार्य, राजकीय पौद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, जयपुर।
18. पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, राजस्थान, जयपुर।
19. आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन, राजस्थान, जयपुर।
20. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या 6 की पालना को भी अमल में लावें।
21. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि0 गौधीनगर/जवाहरनगर/मालवीयनगर/विद्याधरनगर, जयपुर।
22. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गौधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
24. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
25. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
26. संबंधित अधिकारीगण।
27. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
28. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
29. रक्षित पत्रावली।



(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव